संख्या-61/2022/1124/001-56-1099-184-2019

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 05 अगस्त, 2022

विषय: चित्रकूट हवाई पट्टी पर पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु वांछित भूमि की उपलब्धता के प्रस्ताव को भारत सरकार '' परिवेश'' पोर्टल पर अपलोड किए जाने हेतु वांछित धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-84/आर0सी0एस0-2022-सी-1/2018-20 दिनांक 07 जुलाई, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चित्रकूट पर मुख्य मार्ग से टर्मिनल बिल्डिंग तक पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु चिन्हित वन भूमि को प्राप्त करने के निमित्त प्रस्ताव ऑनलाइन अपलोड करने हेतु कन्सल्टेन्ट चार्जेज के भुगतान हेतु रू0 70,800/- (रूपए सत्तर हजार आठ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, चित्रकूट के निवर्तन पर अवमुक्त किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष-2022-23 में चित्रकूट एयरपोर्ट पर मुख्य मार्ग से टर्मिनल बिल्डिंग तक पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु चिन्हित वन भूमि को प्राप्त करने के निमित्त प्रस्ताव ऑनलाइन अपलोड करने हेतु कन्सल्टेन्ट चार्जेज हेतु धनराशि रू0 70,800/- का भुगतान किए जाने की सहर्ष स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

II. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

III. स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

IV. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

V. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

VI. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता अनुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 70,800/- (रूपए सत्तर हजार आठ सौ मात्र) तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, चित्रकूट के निर्वतन पर रखी जाएगी और जिलाधिकारी, चित्रकूट द्वारा यथा आवश्यकता सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2022-23 के अनुदान संख्या-38 पूँजी लेखा-लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन किया जाएगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/202/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या- 61/2022/1124/001-56-1099-184-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.

3- जिलाधिकारी, चित्रकूट।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/चित्रकूट।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -7.

6- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।